

राजस्थान सरकार
राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

दिनांक : 26.05.2020

क्रमांक : रा.क.बो./संस्था/2020/

कार्यालय आदेश

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा, 2018 की प्रतियोगी परीक्षा में सफल घोषित होने के फलस्वरूप राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के अंतर्गत निम्नांकित अभ्यर्थियों को अस्थाई आधार पर कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त नियम विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार 2 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक रूपये 14,600/- प्रतिमाह एवं तत्पश्चात् पे-मैट्रिक्स लेवल संख्या-5 पर अधोलिखित शर्तों पर प्रोविजनल नियुक्ति आदेश जारी कर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है :-

S.No.	Roll No.	Name	Father's Name	DOB	Cat
1	2012316	NITISH KUMAR	MANOJ KUMAR	04-07-94	GEN
2	1214342	ASHOK JANGID	JAIRAM JANGID	23-09-98	OBC
3	1106895	ANOOP KUMAR MOOND	ANIL KUMAR MOOND	09-12-96	OBC
4	1294012	GOREE SHANKAR	BRIJ LAL	08-04-93	OBC
5	1221767	DALRAJ CHOUDHARY	SHIVRAJ JAT	06-05-95	OBC
6	1832416	RAJESH SINGHARIA	RANJEET MAL SINGHARIA	01-09-93	SC
7	1489751	MANISH KUMAR TIMBOLI	PREM CHAND TIMBOLI	09-01-90	SC
8	1669277	KARAN SINGH MEENA	PRAKASH CHAND MEENA	26-06-97	ST

उक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जा रही हैं :-

1. उपरोक्त अभ्यर्थी को दिनांक 01.06.2020 से पूर्व अपने पद का कार्यभार संभालना होगा। किसी कारणवश नियत दिनांक तक उक्त पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्न हस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर दें कि वे कब तक कार्यभार संभालेंगे। Reasonable उत्तर प्राप्त होने पर कार्यग्रहण अवधि में अभिवृद्धि चाहने पर, अभिवृद्धि स्वयं के स्तर पर राज्य सरकार से प्राप्त करनी होगी। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

2. सभी अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करते समय स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन (संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी होने पर ही मान्य होगा) सहित शैक्षणिक योग्यता, प्रशैक्षणिक (Computer/typing संबंधी), आयु व अन्य किसी छूट (जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओ.बी.सी./विकलांग आदि जो भी लागू हो) के संबंध में आवश्यक मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। ओ.बी.सी. एवं एम.बी.सी. वर्ग का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एवं निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत जारी किया गया हो। सभी दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों (उच्च माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र सहित) की सत्यप्रतियां (Certified / Self Attested Documents)

निरन्तर 2

आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने होंगे। विवाह में दहेज न लेने एवं न देने से संबंधित प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, सांतान संबंधित शपथ पत्र, धूम्रपान संबंधित शपथ पत्र, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रतियां गूल दरतावेजों के साथ प्रस्तुत करने होंगे। गर्भवती महिला के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी के कार्यग्रहण के समय या उसके पश्चात् दरतावेजों व पात्रता के सत्यापन में यदि अभ्यर्थी अपात्र पाया जाता है, तो स्वतः ही उसकी नियुक्ति को निरस्त रागडा जायेगा।

3. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।

4. उक्त नियुक्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ11/एराटी एरासी ओबीसी एसबीसी/जा.प्र.प./सामान्य अवि/2015/54159 दिनांक 09.09.2015 पत्रांक 63606-726 दिनांक 20.10.2015 एवं प.11(204) आरएण्डपी/डीडीवीसी/सान्याअवि/2011/68999-69032 जयपुर दिनांक 11.11.2016 में वर्णित दिशा-निर्देशों/सत्यापन के अध्यक्षीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।

5. परीवीक्षा काल (Probation Period) में इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।

6. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परीवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परीवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया अथवा परीवीक्षा काल की समाप्ति पर ली गई विभागीय परीक्षा यदि कोई हो, तो में असफल रहने पर उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।

7. दो वर्ष की परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण कनिष्ठ सहायक के पद पर पे-मैट्रिक्स लेवल संख्या 5 में नियमानुसार वेतन एवं उस पर अन्य भत्ते देय होंगे।

8. उपरोक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता कनिष्ठ सहायक प्रतियोगी परीक्षा, 2018 में सूची के अनुसार उपरोक्त योग्यता क्रम में ही रहेगी।

9. परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।

10. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश सं. एफ.13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.01.2004 एवं 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे।

11. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन, भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Throgh Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

12. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अंतर्गत शामिल होगी एवं समय-समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगे।

13. संबंधित अभ्यर्थियों को पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा।

निरन्तर 3

14. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 12(6)एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006, 6(6) एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, 1(2) एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006, 13(1) एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 13.03.2006 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम 2008 दिनांक 30.10.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fix Remuneration) के हकदार होंगे इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा-मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुए निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यक्षीन होगा।

15. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।

16. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।

17. अभ्यर्थी को कार्यभार संभालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।


रजिस्ट्रार

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

क्रमांक : सम/

दिनांक : 26.05.2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.1(1)प्र.सु./अनु-3/2020 जयपुर दिनांक 04.05.2020, समसंख्यक पत्र दिनांक 08.05.2020 एवं पत्र दिनांक 16.05.2020 के क्रम में।

2. अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।

3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, जयपुर।

4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, जयपुर।

5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग, जयपुर।

6. निजी सचिव माननीय अध्यक्ष महोदय।

7. श्री नरेन्द्र कुमार सोनी, सहायक प्रोग्रामर को वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

8. संबंधित अभ्यर्थी।

9. निजी/रक्षित पत्रावली।


रजिस्ट्रार

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर